प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1779/2005

याचिकाकर्ता - इंद्रदेव सिंह, आयु लगभग 36 वर्ष, पिता स्वर्गीय सूरज सिंह, व्यवसाय: सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, उप-केंद्र कर्रा, विकासखंड रायपुर, जिला सरगुजा।

बनाम

उत्तरवादीगण - 1) मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव, पशु चिकित्सा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।

2) निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएँ, म.प्र., भोपाल।

3) संयुक्त निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएँ विभाग, बिलासपुर।

4) उप-निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएँ, सरगुजा।

5) श्री शंकर सिंह चौहान, उप-निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएँ, अंबिकापुर, जिला सरगुजा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

.....

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री अतुल आनंद अवस्थी सहित श्री आनंद शुक्ला और श्री पराग कोटेचा, अधिवक्तागण।

राज्य की ओर से कु. दीपाली पांडे, पैनल अधिवक्ता ।

.....

मौखिक आदेश

(दिनांक 4 मई, 2007 को पारित)

याचिकाकर्ता, जो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के रूप में कार्यरत था, को दिनांक 24-2-1995 (अनुलग्नक पी./2) के आदेश द्वारा एक वर्ष के प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया। एक वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात, याचिकाकर्ता को अस्थायी आधार पर वर्ग-III (गैर-लिपिकीय) सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर वेतनमान 1320-40-1440-50-2040/- रुपये में दिनांक 19-6-1996 (अनुलग्नक पी./4) के आदेश द्वारा पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता की पदस्थापना सरगुजा में की गई। तत्पश्चात, अचानक दिनांक 31-12-1998 (अनुलग्नक पी./5) के आदेश द्वारा, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता के पास पदोन्नत पद हेतु आवश्यक योग्यता नहीं है, उसे उसके मूल पद (पोल्ट्री वैक्सीनेटर) पर पुनः अवनत कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) उक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यह याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें दिनांक 31-12-1998 (अनुलग्नक पी./5) के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह आदेश अवनति के समान है तथा इसे बिना उचित सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं निष्पक्षता का उल्लंघन है।

(3) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को यह सिद्ध करने हेतु कोई अवसर नहीं दिया गया कि वह उक्त पद के लिए आवश्यक योग्यता रखता है। उससे कभी भी योग्यता से संबंधित कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा गया। याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया और प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उसे दिनांक 19-6-1996 (अनुलग्नक पी./4) के आदेश द्वारा पदोन्नत किया गया। अतः आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों के पालन न किए जाने के कारण दूषित है।

(4) इसके विपरीत, राज्य/उत्तरवादी के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता उक्त पद के लिए अयोग्य था, इसलिए उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक नहीं था। उत्तरवादी/राज्य द्वारा प्रस्तुत जवाब के कंडिका 12 में इस प्रकार कहा गया है:-

"**12.** तथापि, आवेदक सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर बने रहने के लिए अयोग्य था और जब तक वह यह सिद्ध नहीं करता कि उसके पास ऐसी योग्यता है जो उसे उक्त पद धारण करने का अधिकार देती है, तब तक उसे उस पद पर कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।"

(5) मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेखों एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह निर्विवाद है कि आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया, जो कि अवनति के समान है। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी दंडात्मक प्रकृति का आदेश, जो प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न करता हो, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः आक्षेपित आदेश दूषित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) उपर्युक्त स्थापित विधिक सिद्धांतों के आलोक में, आक्षेपित आदेश विधि-विरुद्ध है और उसे खारिज किया जाता है। तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**